यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिला धकारी, बडकोट, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिला धकारी, बडकोट, उत्तरकाशी के माह 05/2012 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ल लत थप लयाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.05.2017 से 20.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः तहसील, बडकोट

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	189.07	181.20	08.87	07.96	-	-
2013-14	-	-	212.35	197.80	08.96	08.47	-	-
2014-15	-	-	216.92	209.58	06.03	05.91	-	-
2015-16	-	-	269.00	259.33	16.25	15.91	-	-
2016-17	-	-	285.69	261.46	20.11	19.46	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य (+)	बचत (-)
2012-13	शून्य					
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य स चव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख स चव (राजस्व)
स चव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर स चव (राजस्व)
जिला धकारी
अपर जिला धकारी
उपजिला धकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में वत्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिला धकारी, बडकोट, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी 27.46 लाख तथा संग्रह व्यय की धनरा श 03.28 लाख की वसूली का न कया जाना।

कार्यालय उपजिला धकारी, बडकोट, उत्तरकाशी के व भन्न वभागों द्वारा जारी कये गये आर0सी0 से संबं धत आर0सी0 पंजिका तथा संबं धत पत्रावली की जांच में देखा गया क वर्ष 2012-13 से 2016-17 आर0सी0 की वसू लयां धनरा श 27.46 लाख तथा संग्रह व्यय की धनरा श 03.28 लाख अवशेष थी, जिनका ववरण निम्न है-

(धनरा श में)

वत्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनरा श	आर.सी. की वसूल की गयी धनरा श पर संग्रह व्यय की अवशेष धनरा श
2012-13 तक	1514641	19823
2013-14 तक	3866868	415791
2014-15 तक	1554237	189382
2015-16 तक	2304815	308126
2016-17 तक	2746128	328297

संप्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग ने बताया क वसूली एक अनवरत प्र कया है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सू चत कया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वत्तीय वर्ष के समाप्ति पर शीघ्र ही आर0सी0 एवं संग्रह प्रभार की धनरा श वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 8400 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न कया जाना।

वत्त संसाधन (व वध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं. व.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि कसी अ धकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, और वह अ धकारी उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लए ₹ 500 व जीप के लए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए। कार्यालय उपजिला धकारी, बड़कोट, उत्तरकाशी के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अ धकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनरा श में)

अ धकारी का नाम	पदनाम	अव ध		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री मुकेश चन्द्र रमोला	तहसीलदार	05/15	12/15	08*400= 3200
श्री कल्याण संह पोखरियाल	तहसीलदार	01/16	04/16	04*400= 1600
श्री मुकेश चन्द्र रमोला	तहसीलदार	05/16	09/16	05*400= 2000
श्री छवाण संह रावत	तहसीलदार	01/17	04/17	04*400= 1600
योग				8400

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने जवाब दिया क संबं धत अ धकारियों से जी.वी.आर. की वसूली कर लेखापरीक्षा को सू चत कया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिला धकारी, बड़कोट, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः- शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	अ धकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अव ध	
			कब से	कब तक
1.	श्री परमानन्द राम	उपजिला धकारी	09.12.2010	10.06.2013
2.	श्री देवमूर्ति यादव	उपजिला धकारी	10.06.2013	10.03.2015
3.	श्री राजकुमार पाण्डेय	उपजिला धकारी	11.03.2015	11.12.2015
4.	सुश्री मुक्ता मश्रा	उपजिला धकारी	11.12.2015	08.01.2016
5.	श्री राजकुमार पाण्डेय	उपजिला धकारी	08.01.2016	05.10.2016
6.	श्री जयवर्ध्दन शर्मा	उपजिला धकारी	05.10.2016	22.10.2016
7.	श्री शैलेन्द्र संह नेगी	उपजिला धकारी	22.10.2016	01.01.2017
8.	श्री जयवर्ध्दन शर्मा	उपजिला धकारी	02.01.2017	17.02.2017
9.	श्री शैलेन्द्र संह नेगी	उपजिला धकारी	18.02.2017	02.03.2017
10.	श्री रोहित मीणा	उपजिला धकारी	03.03.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपजिला धकारी, बड़कोट, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

सामान्य क्षेत्र